

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2015—माघ 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

फा. क्र. 17 (ई) 34-इक्कीस-ब(दो)-2015.—राज्य शासन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 20 उपधारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री सिकलचन्द परस्ते, संयुक्त कलेक्टर, जिला बालाघाट को अपर जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदान करता है।

अमिताभ मिश्र, अपर सचिव।